प्रैस विज्ञप्ति
दिनांक-01.09.2020

विद्युत तार चोरी करने वाले गिरोह के 03 शातिर सदस्य थाना औरंगाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार, कब्जे से घटना करने में प्रयुक्त 01 गाड़ी (छोटा हाथी), 02 मोटर साईकिल, चोरी किया गया भारी मात्रा में विद्युत तार व अवैध असलाह मय कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर श्रीमती दीक्षा सिंह के निकट पर्यवेक्षण दिनांक 01.09.2020 की रात्रि में प्रभारी निरीक्षक थाना औरंगाबाद श्री सुभाष सिंह मय पुलिस टीम के थाना क्षेत्र में देख-रेख शान्ति व्यवस्था एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियो की चैकिंग में मामूर थे तथा जहाँगीराबाद तिराहे पर चैकिंग कर रहे थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थाना औरंगाबाद क्षेत्र के ग्राम ईलना के जंगल से दिनांक 26/27.08.2020 की रात्रि में विद्युत तार चोरी करने की घटना कारित की गयी थी। उक्त गिरोह के कुछ सदस्य जिनौरा पुलिया से होकर चोरी का तार बेचने के उद्देश्य से जाने वाले है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक औरंगाबाद मय पुलिस फोर्स द्वारा तत्काल मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान जिनौरा पुलिया पर पहुँचकर चैकिंग प्रारम्भ की गई। कुछ देर बाद नहर की पुलिया के पास पटरी से एक वाहन आता दिखाई दिया जिसके पीछे दो बाइक भी आ रही थी, जिनको पुलिस टीम द्वारा टोर्च की रोशनी दिखाकर रुकने का इशारा किया गया तो अभियुक्तगण गाड़ी व मोटर साइकिलों से उतरकर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर मौके से 03 अभियुक्तों को समय करीब रात्रि 02.30 बजे गिरफ्तार किया गया तथा उनके अन्य 04 साथी अन्धेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। अभियुक्तों के कब्जे से विद्युत तार चोरी करने की घटना में प्रयुक्त 01 छोटा हाथी, 02 मोटर साइकिल, चोरी किया गया भारी मात्रा में विद्युत तार व अवैध असलाह मय कारतूस बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1- कल्लू पुत्र देवीशरण निवासी ग्राम बालका थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।
2- धनेश पुत्र श्यौराज सिंह निवासी ग्राम रवानी कटीरी थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
3- रिकूं पुत्र अमरपाल निवासी ग्राम हाजीपुर थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1- 01 छोटा हाथी गाड़ी यूपी-13एटी-9372
2- एक मोटर साइकिल स्पलैण्डर यूपी-14बीएल-9453
3- एक मोटर साइकिल स्पलैण्डर यूपी-13पी-7073
4- 09 बंडल विद्युत तार एचटी लाइन व 03 बंडल विद्युत तार एलटी लाइन, 01 कटर व रस्सी
5- 02 तमंचे 315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों द्वारा अपने फरार साथियों के साथ मिलकर दिनांक 26/27.08.20 की रात्रि में थाना औरंगाबाद क्षेत्र के जंगल ग्राम ईलना में एचटी लाइन व एलटी लाइन के विद्युत तार चोरी करने की घटना कारित की गई थी इस घटना के संबंध में थाना औरंगाबाद पर मुअसं-385/20 धारा 427,379,411 भादवि व 136 विद्युत अधि0 पंजीकृत है।

इसके अतिरिक्त दिनांक 07.08.2020 की रात्रि में भी अभियुक्तों द्वारा थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्र के जंगल व गाजीपुर गेट के पास विद्युत तार काटकर चोरी करने की घटना कारित की गई थी जिसके संबंध में भी थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-625/20 धारा 136 विद्युत अधि0 पंजीकृत है।

अभियुक्तगण शातिर किस्म के चोर है जिनका विद्युत तार चोरो का एक गिरोह है जिनके द्वारा जनपद के कई थानाक्षेत्रों में विद्युत तार काटकर चोरी करने की कई घटनाओं की स्वीकारोक्ति की गयी है। अभियुक्तों के विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर निम्न अभियोग पंजीकृत है-

अभियुक्त कल्लू का आपराधिक इतिहास-

1- मुअसं-238/04 धारा 379,411 भादवि थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।
2- मुअसं-296/04 धारा 379 भादवि थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।
3- मुअसं-297/04 धारा 379 भादवि थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।
4- मुअसं-303/04 धारा 307 भादवि(पुलिस मुठभेड़) थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।
5- मुअसं-304/04 धारा 25ए शस्त्र अधि0 थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।

6- मुअसं-314/04 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।
7- मुअसं-219/13 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
8- मुअसं-220/13 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
9- मुअसं-03/14 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
10- मुअसं-385/20 धारा 427,379,411 भादवि व 136 विद्युत अधि0 थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।
11- मुअसं-394/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त धनेश का आपराधिक इतिहास-

1- मुअसं-219/13 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
2- मुअसं-220/13 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
3- मुअसं-03/14 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
4- मुअसं-625/20 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
5- मुअसं-395/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध मे थाना औरंगाबाद पर मुअसं-394 व 395/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-

1- श्री सुभाष सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना औरंगाबाद
2- व0उ0नि0 श्री प्रताप सिंह, उ0नि0 श्री अनिल कुमार
3- का0राजेंद्र सिंह, का0मनीष कुमार, का0 विकास कुमार, का0 नेपाल सिंह, का0 सतवीर सिंह, का0 सुनील कुमार